

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

क्रांती सिंह / स्वयं पक्षिंह शम्भूत बनाम शंभरयाम / भीरुदास बेरागी

किस्म मुकदमा.....नं. 34 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	---

3-4-18 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीदेन उपस्थित।
भाज P. O. सां. 31.7.18 को पेश करें।
पधारने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 31.7.18 को पेश करें।
आज्ञा की
रीडर
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

25-11-18

16/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वादी रघुनाथसिंह व उनके अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मेहता उपस्थित उपस्थित वादी ने आज न्यायालय के सम्मक्ष जाहिर किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो गया है, अब हमारे कोई विवाद नहीं होने से दावा नहीं चलाना चाहते है। प्रकरण को कार्यवाही बन्द फरमाई जायें।

मेने उपस्थित वादी को सुना। चकि: उनके द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कराना जाहिर करने से इस प्रकरण को कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 16/5/2018 को हुली अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाडा

